

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.16(39)आरपीजी/लोसेगाअ/2018

जयपुर दिनांक 24/02/2020

आदेश

निदेशक, पब्लिक सर्विसेज के अधीनस्थ विभिन्न जिलों में सहायक निदेशक, लोक सेवाएं के कार्यालयों में रिक्त लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्नांकित कार्यालयों के सम्मुख अंकित स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त राजकीय सेवा के कर्मियों को लगाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 में विहित शर्तों पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएँ प्रथमतः एक वर्ष दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक की समयावधि या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा अन्य कोई आदेश जारी होने, जो भी पहले हो तक के लिये जारी की जाती है।


क्र.सं.	सहायक निदेशक, लोक सेवाएं कार्यालय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	
		लिपिक ग्रेड-द्वितीय	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1.	अजमेर	01	--
2.	अलवर	01	02
3.	बांसवाड़ा	01	02
4.	बारां	01	02
5.	बाड़मेर	--	02
6.	भरतपुर	01	02
7.	भीलवाड़ा	01	02
8.	बीकानेर	--	02
9.	बून्दी	01	01
10.	चित्तौड़गढ़	--	02
11.	चूरु	--	02
12.	दौसा	--	02
13.	धौलपुर	--	01
14.	इंगरपुर	01	02
15.	हनुमानगढ़	01	02
16.	जयपुर	--	02
17.	जैसलमेर	--	02
18.	जालौर	--	02
19.	झालावाड़	01	01
20.	झुंझू	--	02

21.	जोधपुर	--	01
22.	करौली	--	02
23.	कोटा	--	01
24.	नागौर	--	02
25.	पाली	01	02
26.	प्रतापगढ़	01	02
27.	राजसमन्द	01	02
28.	सवाई माधोपुर	--	--
29.	सीकर	--	02
30.	सिरोही	--	02
31.	श्रीगंगानगर	01	02
32.	टोंक	01	01
33.	उदयपुर	01	01
	कुल	16	55

नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के बिन्दु संख्या-1 के अनुरूप जिला स्तर पर सहायक निदेशक, लोक सेवाएं द्वारा नियमानुसार की जा सकेगी।


प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि समस्त जिला कलक्टर यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त पद आदिनांक की स्थिति में स्पष्ट रूप से रिक्त है एवं इन पद पर नियमित नियुक्ति नहीं की गई है।

आज्ञा से,


(मोहन लाल वर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जन अभियोग निराकरण विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
3. निजी सहायक, निदेशक, लोक सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. संयुक्त निदेशक, लोक सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, राजस्थान मार्फक जिला कलक्टर।
9. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव